(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 47/2023
दिनांकः 7 दिसम्बर, 2023

विषयः एचएस कोड 10063090 के तहत गैर–बासमती चावल के निर्यात के लिए नीतिगत शर्त को शामिल करना।

सा.आ.(अ).– विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची–2 के अध्याय 10 के आईटीसी (एचएस) कोड 10063090 के तहत गैर–बासमती चावल के निर्यात के लिए निम्नलिखित नीतिगत शर्त को निम्नानुसार शामिल करती है:–

आईटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
10063090	गैर–बासमती सफेद चावल (आधा–पिसा हुआ या पूर्ण रुप से पिसाा हुआ चावल, चाहे पॉलिश या ग्लेज किया हुआ हो या नहीं: अन्य)	निषिद्ध	राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरएमए), नेपाल सरकार को भूकंप पीड़ितों के लिए दान के रुप में 20 एमटी गैर–बासमती सफेद चावल (आधा पिसा हुआ या पूर्ण रुप से पिसाा हुआ चावल, चाहे पॉलिश हो या ग्लेज किया हुआ हो या नहीं: अन्य) के निर्यात के लिए भारतीय चावल निर्यातक संघ को 'निषिद्ध' से एक बार निर्यात के लिए छूट दी गई है।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए दान के रुप में एचएस कोड 10063090 के तहत 20 एमटी गैर–बासमती सफेद चावल (आधा पिसा हुआ या पूर्ण रुप से पिसा हुआ चावल, चाहे पॉलिश हो या ग्लेज किया हुआ हो या नहीं: अन्य) के निर्यात के लिए भारतीय चावल निर्यातक संघ को 'निषिद्ध' से एक बार निर्यात के लिए छूट दी गई है।

संतोष कुमार सारंगी
7.12.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/010/एएम23ईसी/ई–33294 से जारी)